



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



निवाचन क्षेत्र से

०९ ग्रामीण

(निवाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा

(सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष
अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मेरे अधिकारी नाम ०० पुत्र/पूत्री/पत्नी द्वारा छोड़ा और यूक्त है
आयु ४९ वर्ष, जो १५६ फुट ऊंचा है। आठ वर्ष विवाहित
आयु ४९ वर्ष, जो १५६ फुट ऊंचा है। आठ वर्ष विवाहित
(डक का पूरा पता लिखें) का/की नियासी हैं
और उपरोक्त निवाचन से अध्यर्थी हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है/करती है, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता है/करती है:-

(1) मेरे अधिकारी नाम (**) सार्वत्रिक

दल का नाम) द्वारा छहा किया गया अध्यर्थी/** एक स्पष्ट अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**) जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ५५ दाटशिला (अजगा) ३१०२२७०५ (निवाचन क्षेत्र और राज्य का
नाम) में घास सं. ३२ के क्रम सं. ६७२ पर प्रविष्ट है

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. ९३०८४८२८६०, ८१०२६९५०५५ है/है और मेरा ई-मेल
आईडी (यदि कोई हो तो) ३५८ और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) ३५८ है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के व्यारे और आय-वार विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

क्रम सं.	नम श्रीमत अरपीरुद्दीन	पैन ARJ PA 37388	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल नहीं गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	३५८	३५८	३५८
2.	पति या पत्नी	३५८	३५८	३५८
3.	आश्रित - 1	३५८	३५८	३५८
4.	आश्रित - 2	३५८	३५८	३५८
	आश्रित - 3	३५८	३५८	३५८



मेरे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ।

मेरे किसी लम्बित मामले में सकम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप दिराचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण और	३१८
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का नंशित विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	३१९
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३२०
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	३२१
(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	३२२
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	३२३

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से मिलन] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३२१
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	३२०
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए काइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	३२१

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से मिल, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया है उपरक वर्ष या अधिक के लिए कारबास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारा७) और अपराध (अपराधों) का संबंध विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	₹५०५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	₹५०५
(ग)	अधिरोपित दंड	₹५०५
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तियाँ	₹५०५

(7) मैं पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा / दिनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शासा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों / शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एवं स्टॉकों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	₹५०००	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आदिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पर्सनलियों में विनिधान के ब्यौरे और बांकधारा या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखानों में विनिधान और रकम	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(vi)	मोटरयान/यात्रुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
(vii)	जेवरत, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (बार और मूल्य के ब्यौरे)	₹१०,२००	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
	पांच अन्य आस्तियाँ जैसे किदरों/हित क मूल्य	₹१०,२०१	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५
	पांच अन्य आस्तियाँ जैसे किदरों/हित क मूल्य	₹३०,०००	₹५०५	₹५०५	₹५०५	₹५०५



आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(I)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेषण संख्याक (संख्याएँ)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	धेत्र (एकहाँ में कुल माप)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	वया विवासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	विकास, संनिर्माण आदि के नाध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
(II)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेषण संख्याक (संख्याएँ)	०१४८५९९ ०१७३५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	धेत्र (वर्ग कुट में कुल माप)	१२५० ३२७०	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	वया विवासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
	विकास, संनिर्माण आदि के नाध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५	३५८५
गोपनीय नाम : प्रामोद केरूल बाजार मूल्य						



क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	३१८	३०५	३०५	३०५	३०५
	केत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३१८	३०५	३०५	३०५	३०५
	निर्मित हेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	केत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	निर्मित हेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	क्रय (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५
	(v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१५- ३०२५	३०५	३०५	३०५	३०५



- (8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/कोशिशों के बैंके नीचे देता हूँ:-
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बैंकों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शेयर्स नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	कोई अन्य दायित्व	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(ii)	दायित्वों का कुल योग	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सरकारी शेयर्स : सरकारी आयास से बरतने वाले विभागों को शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	टेलीफोन/नोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	आय-कर शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	धनकर शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सेवाकर शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(iii)	विक्रयकर शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	कोई अन्य शेयर्स	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सामी सरकारी शेयर्सों का कुल योग	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ



यदा कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है,
 यदि हैं तो अंतर्वेलित रकम और उस
 पारिशक्ति जिसके समक्ष यह लम्बित है का
 करें।

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :-

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

हरी (छोल)

दरबु गव्हा

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

८ वी पास लक्ष्मारी गद्य लिंग । १९८५

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उक्तेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बोरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए बारों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. श्रीमति अरविंद देव		
2.	डाक का पूरा पता	श्रीमति अरविंद देव, पोदकुआ। श्रीमति अरविंद देव, पोदकुआ।		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	५५, लाटडिला (उज्ज्वा) आरुप (उज्ज्वा)		
4.	उस राजनीतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को सुझा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	कामरुकांड अटी (जिरेव)		
5.	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप दिरचित किए गए हैं।	३०८		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) जाहेंगित मामलों से भिन्न]	३०८		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष रहसाया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवार]	३०८		
7.	... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	ARJPA 3738R	३०८	३०८
	(ख) पति या पत्नी	३०८	३०८	३०८
	(ग) आक्रित	३०८	३०८	३०८



8. आस्तियों और दायित्वों के बारे (रूपये में)

विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आधिक्रम-1	आधिक्रम-2	आधिक्रम-3
क.	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
ख.	स्थावर आस्तियाँ	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
I.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान वाजार कीमत	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
	(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
(ii)	दैन, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८
(ii)	दैन वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	३५८	३५८	३५८	३५८	३५८

उच्चतम शैक्षिक अहंता :

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा है।

८८ बाल बनवाई मध्यविद्यालय १९८५




सत्यापन


मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी लात्यिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पते या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.03.2014 को सत्यापित किया गया।


PRAMOD KUMAR BHAGAT
NOTARY PUBLIC
East Singhbhum, Reg.No.2842 (J)
Govt. Of Jharkhand, JSR, INDIA





अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कनिष्ठनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पश्चिम के समक्ष शपथ किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई नामांकन न किया जाता है तो, यथास्थिति 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 4 शपथपत्र टक्कित या सुपारुचरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
टिप्पण : 5 अध्यर्थियों द्वारा अदूरा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निवाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के नियंत्र के अनुपालन में अध्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अध्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्पारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए लोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे - 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'जात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अध्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए